

दिनांक

श्री अमोल मांजुनाथ,
उप निदेशक,
एनएच प्रोटेक्शन विभाग।

सेवा में,

मेडिकल
ऑफिस, डॉ. आर. के. सिन्हा, एनएच,
2/91, एन. विहार, अनायास रोड,
हरिबाग, नई दिल्ली।

विषय: 113 अनुसूची संयोजक, दिनांक: अगस्त, 1992

विषय: बुधवार-विद्या निकेतन केन्द्र, विहार-नई-2 का नुमांदा को अनायास
प्रमाण-पत्र दिखाने के सम्बन्ध में।

प्रति,

उपरोक्त विषय पर मेरे पत्र क्रमांक आ/निकेतन/92 है कि बुधवार-
विद्या निकेतन केन्द्र, विहार-नई-2 प्रमाण-पत्र को मेडिकल ऑफिस आर. के. सिन्हा
एनएच, नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र अनायास प्रमाण-पत्र दिखाने
में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित शर्तियों के अधीन आवंटित
किया गया है:

- 1.1 विद्यालय को संबन्धित सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाएगा।
- 1.2 विद्यालय को प्रथम प्राथमिक में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 1.3 विद्यालय में एक से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संज्ञांक परीक्षा में अभिलेखित वर्गों के लिए निर्धारित सूचक के अर्थ में शून्य नहीं किया जाएगा।
- 1.4 संज्ञा द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान को मांग नहीं करेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बन्धित अनुसूचित ऑफिस आर. के. सिन्हा एनएच, नई दिल्ली/काठमान्डू एनएच प्रमाण-पत्र दिखाने पर वास्तविक, नई दिल्ली से प्राप्त होगा।
- 1.5 जो उक्त प्रमाण-पत्रों से सम्बन्धित प्रमाण होने का विचार


MANAGER
PURANCHANDRA VIDYANIKETAN
KANPUR

S. Mukherjee
PRINCIPAL
PURANCHANDRA VIDYANIKETAN
KANPUR


से परिष्कृत से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- 15। संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणलय कर्मचारियों को राजकीय महाविद्यालय प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
- 16। कर्मचारियों को सेवा शर्तें बनाई जायेंगी और उन्हें महाविद्यालय प्राप्त अग्रेसरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा नियुक्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 17। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्मित किए जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।
- 18। विद्यालय का विकास निर्धारित प्रयत्न/संचिकाओं में देखा जायेगा।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिष्कार नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबन्धों को तोलाहटी को नियमावली में सम्मिलित कर के समावेश किया जायेगा तथा उन प्रतिबन्धों को तोलाहटी को नियमावली में समावेश किये जाने की सूचना तथा उक्त मुद्दे में संशोधित नियमावली को प्रति राज्य सरकार को इस आदेश के जारी होने के एक वर्ष के भीतर उपलब्ध कराया जायेगा। इस अवधि के भीतर उक्त प्रतिबन्धों को तोलाहटी के नियमावली में समाविष्ट किए जाने की सूचना प्राप्त न होने पर प्राथमिक अग्रिम प्रति प्रमाण-पत्र समतः निरस्त समी जायेगी।

3- विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणलय कर्मचारियों के लिए मालिकान्ता नियम कोलकाता भी एक वर्ष के भीतर ही लागू कर दी जायेगी।

4- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह लागू नहीं हो पाया तो संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की कोई छूट या गिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदात अनुदान समाप्त


 MANAGER
 PURANCHANDRA VIDYANIKETAN
 KANPUR

S. Mukherjee
 PRINCIPAL
 PURANCHANDRA VIDYANIKETAN
 KANPUR


उत्तर-द्वय पर्याय में शिक्षा आयोग।


मुद्रित
 शिक्षा आयोग
 उ० म० वि०

सं. आ० 2951/11/15-13-21-स० दि० न०

इतिमिष निम्नलिखित को सूचना दी जाय:-

- 1- शिक्षा निदेशक, शिक्षा आ०-2 मुद्रागत, उ० म० वि०, बनारस।
- 2- पर्यवेक्षक शिक्षा निदेशक, बनारस।
- 3- निरीक्षक, उत्तर भारतीय विद्यालय, उ० म० वि०, मुजफ्फरपुर।
- 4- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, बनारस।
- 5- प्रमुख, पूर्णवन्दु शिक्षा निदेशक, केन्द्रीय शिक्षा बरत-बनारस।

उत्तर म

 शिक्षा आयोग
 उ० म० वि०


 MANAGER
 PURANCHANDRA VIDYANIKETAN
 KANPUR

S. Mukherjee
 PRINCIPAL
 PURANCHANDRA VIDYANIKETAN
 KANPUR